संख्या-139/2022/1151/002-23-9-2022-05स0मा0/2020

प्रेषक,

शिव कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष्,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ

लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊ: दिनांक 03 अक्टूबर, 2022

विषय वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत कृषि विपणन सुविधाओं हेतु राजस्व ग्राम/बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्ग से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का नवनिर्माण/पुनर्निर्माण/ मिसिंग लिंक एवं अन्य ग्रामीण मार्गों के 09 चालू कार्यो पर धनराशि आवंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता(मु-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रों(निम्न तालिका के कॉलम-2 में उल्लिखित) का कृपया संदर्भ ग्रहण करें ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार अनजुड़ी बसावट योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों के कुल 09 कार्यो हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ-5 में उल्लिखित शासनादेशों द्वारा निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में वित्तीय वर्ष 2022-23 में तालिका के स्तम्भ-10 के अनुसार कुल रू0 77,38,000/- (रूपये सतहत्तर लाख अड़तालीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :- **(धनराशि रू0 लाख में)**

क्रम सं0	मुख्य अभियंता(मु0-1) का पत्र	जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / लागत मूल	अब तक आवंटित धनराशि	बचत	अद्यतन अवशेष	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1546/CE-HQ1/AV/VNS/2022-23 Dt- 16-09-2022	गाजीपुर	पारा कासिमाबाद मार्ग के कि.मी.13 से निकलकर सोता नाला होते हुये कागजीपुर हरिजन बस्ती पण्डितपुरा तक सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य।)2275)	59/2018/आ0-40/23-9-2018-03अन्य/2018, दि-03.08.2018	95.85	91.05	0.06	4.74	4.74
2	1546/CE-HQ1/AV/VNS/2022-23 Dt- 16-09-2022	गाजीपुर	कासिमाबाद सिधागरघाट मार्ग से बायें कट्यां हरिजन बस्ती सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य।)2275)	59/2018/आ0-40/23-9-2018-03अन्य/2018, दि-03.08.2018	52.08	43.48	0.02	8.58	8.58
3	1546/CE-HQ1/AV/VNS/2022-23 Dt- 16-09-2022	गाजीपुर	ग्रामसभा हैंसी में अम्बेडकर मूर्ति से उमाशंकर आर्दश इण्टर कालेज तक सी0सी0 रोड एवं नाली का निर्माण	11/2019/343/23-9-2019-01अन्य/2018टी0सी0	39.78	20.87	0.01	18.9	18.90
4	1546/CE-HQ1/AV/VNS/2022-23 Dt- 16-09-2022	गाजीपुर	पारा कासिमाबाद मार्ग से बानाडीह तक सम्पर्क मार्ग	11/2019/343/23-9-2019-01अन्य/2018टी0सी0	17.92	9.4	0.02	8.5	7.00
5	1546/CE-HQ1/AV/VNS/2022-23 Dt- 16-09-2022	गाजीपुर	पारा कासिमाबाद मार्ग से निजामपुर काली माई मन्दिर तक सम्पर्क मार्ग	11/2019/343/23-9-2019-01अन्य/2018टी0सी0	39.48	31.58	0.02	7.88	7.88
6	1546/CE-HQ1/AV/VNS/2022-23 Dt- 16-09-	गाजीपुर	ग्राम महदेवा से भरटोला सम्पर्क मार्ग का	115/2019/आ0-106/23-9-2019-02स0मा0/2019	62.38	59.26	0.03	3.09	3.09

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्रम सं0	मुख्य अभियंता(मु0-1) का पत्र	जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / लागत मूल	अब तक आवंटित धनराशि	बचत	अद्यतन अवशेष	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2022		नवनिर्माण)1920A) (2115)						
7	1546/CE-HQ1/AV/VNS/2022-23 Dt- 16-09-2022	गाजीपुर	मिरानपुर से सबियत चैहान बस्ती सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण।)1920A) (2115)	115/2019/आ0-106/23-9-2019-02स0मा0/2019	53.84	51.14	0.02	2.68	2.68
8	1605/CE-HQ1/AV/LKO/2022-23 Dt- 21-09-2022	खीरी	सर्वांगपुर(सर्वांगीपुरसम्पर्क (मार्ग।	42/2021/आ0-146/23-9-2020-03स0मा0/2020	68.81	55.05	4.24	9.52	9.52
9	1648/CE-HQ1/AV/MIR/2022-23 Dt- 23-09-2022	सोनभद्र	बी0एस0 मार्ग राज्य मार्ग के किमी 97 से निकली झपरहवा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	38/2021/आ0-148/23-9-2020-04स0मा0/2020	132.35	105.88	11.48	14.99	14.99
				योग					77.38

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त मार्गो को निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तामरक पूर्ण कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(3) स्तम्भ-5 में अंकित शासनादेशों की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

(4) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 77,38,000 (रुपये सतहत्तर लाख अड़तीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 5054043371500 कृषि विपणन सुविधाओं हेतु राजस्व ग्राम/बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का नवनिर्माण/पुननिर्माण/मिसिंग लिंकएवं अन्य ग्रामीण मार्गों के चालू कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था**मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्यों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(शिव कुमार)
अनु सचिव।
उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-139**/2022/**1151(1)**/002-23-9-2022-05स0मा0/2020 तद् दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।

2- जिलाधिकारी, संबंधित जनपद।

3- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।

4- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।

5- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।

6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0, लखनऊ।

7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

8- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।

9- संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता , लो0नि0वि0।

10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 /वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-2, उ0प्र0शासन ।

11- लोक निर्माण अनुभाग-10/श्रम अनुभाग-2

12- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शिव कुमार)
अनु सचिव।
उ0प्र0 शासन।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।